POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 02.07.2026

थाना बारा पुलिस टीम द्वारा दहेज के दृष्टिगत की गयी हत्या का अनावरण करते हुए वांछित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

थाना बारा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 74/2026 धारा 85/126(2)/80(2)/61(2)/238(बी) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट में नामजद वांछित 01 बाल अपचारी, उम्र 17 वर्ष को आज दिनांक-02.07.2026 को चिल्ला गौहानी थाना क्षेत्र लालापुर से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-13.06.2026 को वादी शिवशंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 चन्देराम पाण्डेय नि0 ग्राम उभारी थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 11.06.2026 से वादी मुकदमा की पुत्री से बात न होना व ससुराल जाकर पूछने पर 02 दिन पूर्व कही चले जाने की बात को सास-ससुर द्वारा छुपाना व वादी मुकदमा को अपनी पुत्री को प्रताड़ना देकर आरोपीगणों द्वारा कही छुपाने की आशंका होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 74/2026 धारा-85/126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत कर थाना स्थानीय पर पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा आपराधिक माड्यूस ऑपरेंडी, सर्विलांस व अन्य प्रकाश में आये तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर, सीडीआर का अवलोकन तथा सीसीटीवी

फुटेज के आधार पर व निरंतर की जा रही सुरागरसी-पतारसी के क्रम में ज्ञात हुआ कि जनपद फतेहपुर में एक अज्ञात महिला का शव दिनांक 12.06.2026 को मिला, जिसकी पहचान अभी तक नही हो पाई है। थाना खागा से समन्वय स्थापित कर बरामद महिला की शव के हुलिये के आधार पर अज्ञात शव की पहचान थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2026 धारा 85/126(2) बीएनएस की पीड़िता/ गुमशुदा रंजना पुत्री शिवशंकर पाण्डेय निवासी उभारी थाना घूरपुर के रूप में हुयी। तत्पश्चात सीडीआर के अवलोकन व सुरागरसी-पतारसी से घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक-02.07.2026 को बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 85/126(2)/80(2)/61(2)/238(बी) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट की बढोत्तरी की गयी । उल्लेखनीय है कि वादी की पुत्री का शव जनपद फतेहपुर में मिलने पर संबंधित थाने में भी मु0अ0सं0 197/2026 धारा 103(1)/238(बी) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर बाल अपचारी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता से आये दिन दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा करती थी। रोज रोज के झगड़े से क्षुब्ध होकर अपनी पत्नी रंजना के सर पर ईट से मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु हो जाने के बाद रंजना के शव को बोरे मे भरकर मेरे माता पिता खागा जनपद फतेहपुर में हाईवे के पास छिपाकर फेक दिये थे।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 74/2026 धारा 85/126(2)/80(2)/61(2)/238(बी) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 संजय कुमार राय, थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.म0उ0नि0 रीतु तिवारी, थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.उ0नि0 दीपक कुमार वर्मा, थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

3.का0 हिम्मत सिंह, थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

4.का0 अविनाश, थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज।